

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.24(3)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 9.6.2020

::आज्ञा::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 35 के अन्तर्गत निम्नलिखित अस्थाई कनिष्ठ विधि अधिकारियों को दिनांक 14.02.2020 से कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर एतद्वारा स्थाई किया जाता है:-

क.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)
1.	सुनिल मुवाल
2.	सरोज मीणा
3.	गणेश लाल खराड़ी

आज्ञा से,




(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित कार्मिक/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव